4

रेल मंत्रालय

रेल मंत्रालय ने विक्रेताओं और ठेकेदारों के लिए ऑनलाइन बिल ट्रेकिंग प्रणाली की शुरूआत की

यह कदम पारदर्शिता बढ़ाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल संबंधी रेलमंत्री के फैसले के अनुरूप है

सभी बिलों को प्राप्ति के 30 दिन के अंदर निपटा लिया जाएगा

Posted On: 13 DEC 2017 4:54PM by PIB Delhi

बिलों की पड़ताल और निपटान में पारदर्शिता बढ़ाने के एक अहम कदम के रूप में भारतीय रेल ने अपने विक्रेताओं और ठेकेदारों के बिलों की ट्रेकिंग के लिए एक प्रणाली शुरू की है। यह कदम पारदर्शिता बढ़ाने और प्रणाली को कारगर बनाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल संबंधी रेल और कोयला मंत्री श्री पीयुष गोयल के फैसले के अनुरूप है।

विक्रेताओं/ठेकेदारों को एक ऑनलाइन सूचना प्रौद्योगिकी प्लेटफार्म पर पंजीकरण कराना होगा। इसे सीआईआरएस, नई दिल्ली ने विकसित किया है और इसका नाम भारतीय रेल ई-खरीद प्रणाली (आईआरईपीएस) है। पंजीकरण कराने के बाद विक्रेताओं और एजेंसियों को अपने बिल की स्थिति, इत्यादि की जानकारी प्राप्त करने में सुविधा होगी। इस प्लेटफार्म के जिए वे अपने बिलों के बारे में, रकम और पूरा ब्यौरा प्राप्त कर सकेंगे। विक्रेता जमा किये गये बिलों के पुराने विवरणों को भी जान सकेंगे। बिल ट्रेकिंग, सुविधा वस्तु एवं सेवाओं से संबंधित विक्रेताओं/ठेकेदारों के लिए उपलब्ध है। बिल की खामियों या चूक की जानकारी भी उपलब्ध रहेगी। इसका विवरण http://ireps.gov.in. पर देखा जा सकता है। उल्लेखनीय सभी बिलों को प्राप्ति के 30 दिन के अंदर निपटा लिया जाएगा।

विक्रेताओं की सुविधा के लिए एक सहायता-सुविधा को भी जोड़ा गया है। इसके संबंध में एक मैनुअल का लिंक भी आईआरईपीएस के होमपेज पर उपलब्ध है।

वीके/एकेपी/एमएम-5850

(Release ID: 1512486) Visitor Counter: 56

f







in